भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5930

सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण

†**5930. श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:**

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ई-श्रम पोर्टल पर जनसांख्यिकीय और क्षेत्र-वार वितरण सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उक्त कामगारों को लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए ई-श्रम डेटाबेस को कल्याणकारी योजनाओं और राज्य-स्तरीय लाभ वितरण प्रणालियों के साथ किस प्रकार एकीकृत किया गया है;

(ग) क्या देश में कामगारों को दिए जाने वाले लाभ के अंतरण और उनके कार्य संबंधी विवरण के वास्तविक समय में सत्यापन को सक्षम करने के लिए कोई अंतर-संचालनीय ढांचा स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में उक्त कामगारों की औपचारिक मान्यता, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर ई-श्रम पोर्टल के प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

दिनांक 22 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर 31.57 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में है।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का व्यवसाय-क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में है।

असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ई-श्रम को 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' के रूप में विकसित करने की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के विज़न के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम–"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम–"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकरण किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

जारी...2/-

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, ताकि ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ और पहुंच प्रदान की जा सके, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम, रोजगार के अवसरों के लिए नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के कन्वर्जेंस पोर्टल के साथ भी जुड़ा हुआ है।

ई-श्रम पोर्टल में, सफल आधार-आधारित ईकेवाईसी प्रमाणीकरण के बाद ही पंजीकरण किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि डुप्लिकेट या धोखाधड़ी वाले पंजीकरण प्रभावी ढंग से समाप्त हो जाएं। इसके अलावा, डेटा प्रामाणिकता और सटीकता बनाए रखने के लिए नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्थायी पता और फोटोग्राफ जैसे प्रमुख सूचनाएं सीधे यूआईडीएआई से प्राप्त की जाती हैं। ये उपाय सामूहिक रूप से पोर्टल की सत्यनिष्ठा की रक्षा करते हैं और किसी भी दुरुपयोग को रोकते हैं।

ई-श्रम पहल के तहत पंजीकरण बढ़ाने और युवाओं एवं महिलाओं सहित असंगठित कामगारों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण को सक्षम करने के अलावा, कामगारों के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता-प्राप्त पंजीकरण मोड़ शुरू किए गए हैं। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, पंजीकरण अभियान, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए संचार प्रयासों के माध्यम से लक्षित जागरूकता अभियान चला रहा है। आउटरीच को और मजबूत करने के लिए, मंत्रालय वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य सूचनात्मक सामग्री प्रसारित करने हेतु सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग कर रहा है, जिससे इस पहल को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जा सके।

ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा ई-श्रम का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन/प्रभाव मूल्यांकन किया गया है।

**

अनुबंध-I

"असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण" के संबंध में श्रीमती बिजुली कलिता मेधी और श्री अशोक कुमार रावत द्वारा दिनांक 30.03.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5930 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 22.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पंजीकरण संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	35,419
2	आंध्र प्रदेश	88,40,868
3	अरुणाचल प्रदेश	2,16,911
4	असम	78,29,459
5	बिहार	3,23,23,679
6	चंडीगढ़	1,91,074
7	छत्तीसगढ़	86,46,065
8	दिल्ली	36,35,585
9	गोवा	89,246
10	गुजरात	1,23,60,794
11	हरियाणा	54,27,456
12	हिमाचल प्रदेश	20,20,589
13	जम्मू और कश्मीर	36,38,908
14	झारखंड	98,27,703
15	कर्नाटक	1,10,64,262
16	केरल	61,15,894
17	लद्दाख	35,753
18	लक्षद्वीप	2,868
19	मध्य प्रदेश	1,93,17,062
20	महाराष्ट्र	1,84,36,633
21	मणिपुर	4,72,060
22	मेघालय	3,64,762
23	मिजोरम	73,275
24	नागालैंड	2,44,187
25	ओडिशा	1,37,07,293
26	पुदुचेरी	1,99,340
27	पंजाब	59,36,839
28	राजस्थान	1,53,01,433
29	सिक्किम	50,707
30	तमिलनाडु	96,72,058
31	तेलंगाना	46,60,529
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	76,131
33	त्रिपुरा	9,03,329
34	उत्तर प्रदेश	8,43,48,002
35	उत्तराखंड	31,13,658
36	पश्चिम बंगाल	2,65,73,460
	कुल पंजीकरण	**31,57,53,291**

अनुबंध-II

"असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण" के संबंध में श्रीमती बिजुली कलिता मेधी और श्री अशोक कुमार रावत द्वारा दिनांक 30.03.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5930 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 22.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का व्यवसाय-क्षेत्रवार ब्यौरा।

क्र. सं	**व्यवसाय-क्षेत्र**	**पंजीकरण संख्या**
1	कृषि	16,32,37,253
2	परिधान	2,07,64,925
3	ऑटोमोबाइल और परिवहन	84,89,304
4	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा	45,954
5	सौंदर्य और वेलनेस	21,42,605
6	पूंजीगत वस्तुएँ और विनिर्माण	65,13,840
7	निर्माण	2,88,40,654
8	घरेलू और गृह-कार्य कर्मचारी	2,94,11,448
9	शिक्षा	53,21,937
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	50,77,417
11	खाद्य उद्योग	17,22,371
12	रत्न और आभूषण	10,32,189
13	कांच और सिरेमिक	2,93,110
14	हस्तशिल्प और कालीन	23,71,773
15	स्वास्थ्य सेवाएँ	35,85,760
16	चमड़ा उद्योग कार्य	61,87,886
17	खनन	4,59,183
18	विविध	1,48,93,236
19	वाद्य यंत्र	1,17,683
20	कार्यालय प्रशासन और सुविधा प्रबंधन	30,96,019
21	संगठित खुदरा	89,211
22	मुद्रण	5,08,853
23	निजी सुरक्षा	4,65,539
24	पेशेवर	8,36,884
25	खुदरा	23,90,232
26	सेवा	3,05,576
27	वस्त्र और हथकरघा	2,08,391
28	तंबाकू उद्योग	27,43,326
29	पर्यटन और आतिथ्य	43,91,976
30	लकड़ी और बढ़ईगीरी	2,08,756
	कुल पंजीकरण	**31,57,53,291**